

न्यायालय:-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्र.क.क्रमांक-27 / 2012
 संस्थित दिनांक-17.01.2012

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
 जिला-बालाघाट - - - - - अभियोजन
 - / / विरुद्ध / / -

सुनेरसिंह पिता हीरूसिंह उयके, उम्र 59 वर्ष, जाति गोंड
 निवासी सुकतरा (बंजरटोला), थाना बिरसा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - आरोपी

- / / / निर्णय / / / -
 (आज दिनांक-02 / 09 / 2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-30.12.2012 को समय करीब 10:00 बजे स्थान ग्राम सुकतरा आरक्षी केन्द्र बिरसा के अन्तर्गत आहत उनेरसिंह की दाहिने हाथ की कलाई में लकड़ी से मारपीट कर उसकी अस्थि भंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया।

2- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-30.12.2012 को समय करीब 10:00 बजे स्थान ग्राम सुकतरा आरक्षी केन्द्र बिरसा के अन्तर्गत फरियादी/आहत उनेरसिंह ने अपने भाई आरोपी सुनेरसिंह के साथ धान की खेती किया था, जिसकी गहानी कर आरोपी सुनेरसिंह ने पूरी धान की फसल रख लिया, जब फरियादी उनेरसिंह आरोपी से धान मांगने गया तो उसे धान देने से मना कर दिया और लकड़ी से मारपीट की, जिससे आहत उनेरसिंह को दाहिने हाथ के पंजे, कलाई एवं बांये आंख के भौह के ऊपर चोट आयी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी/आहत उनेरसिंह ने थाना बिरसा मे दर्ज करायी, पुलिस द्वारा फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध

क्रमांक-2/2012, धारा-325 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, गवाहों के बयान लिये गये, आरोपी से उक्त घटना में प्रयुक्त लाठी की जप्ती की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त उसके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी के विरुद्ध धारा-325 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित किये जाने पर आरोपी के द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी के द्वारा धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-30.12.2012 को समय करीब 10:00 बजे स्थान ग्राम सुकतरा आरक्षी केन्द्र बिरसा के अन्तर्गत आहत उनेरसिंह की दाहिने हाथ की कलाई में लकड़ी से मारपीट कर उसकी अस्थि भंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी/आहत उनेरसिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानता है। घटना एक पूर्व शाम 9 बजे खेत की है। खेत के विवाद को लेकर आरोपी ने हाथ से पकड़ कर मरोड़ कर उसके हाथ को तोड़ दिया था। उक्त घटना होते तिरथसिंह ने देखा था। उसने घटना के दो दिन बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। चिकित्सक द्वारा उसका मुलाहिजा किया गया था। उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी के साथ लामा-झुमी होने पर उसे हाथ में

चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय दोनों के बीच लकड़ी से मारपीट नहीं हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में आरोपी के हाथ से मरोड़ने से उसे अस्थि भंग होने का तथ्य पेश किया है तथा लकड़ी से मारने के कारण अस्थि भंग होने का तथ्य पेश नहीं किया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी द्वारा मारपीट करने में उसे हाथ में कथित अस्थि भंग होने का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया गया है, किन्तु साक्षी ने उसके पुलिस कथन एवं रिपोर्ट में आरोपी द्वारा लकड़ी से मारपीट करने से अस्थि भंग होना लेख कराया है, जबकि न्यायालयीन कथन में घटना के समय आरोपी के कथित हाथ मरोड़ने के कारण अस्थि भंग होना प्रकट किया है। इस प्रकार उक्त तथ्य के संबंध में विरोधाभास होना प्रकट होता है।

6— मुन्नालाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को तथा प्रार्थी को जानता है। घटना एक वर्ष पूर्व सुबह के 9-10 बजे आरोपी के मकान की है। प्रार्थी ने उसे धान लेने चलने बोला था तो वह उसके साथ गया था, जहां उसने देखा कि आरोपी और प्रार्थी के बीच धान को लेकर विवाद हो रहा था। आरोपी ने लकड़ी से प्रार्थी को हाथ और सिर पर मार दिया था। प्रार्थी के साथ उसने रिपोर्ट दर्ज करवाया था। पुलिस ने मौके पर आकर मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 बनायी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन ली थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसमें महत्वपूर्ण विसंगति नहीं है। इस कारण साक्षी के कथन पर मात्र इस कारण अविश्वास करने का आधार प्रकट नहीं होता है कि वह कथित रूप से हितबद्ध साक्षी है। वास्तव में यह साक्षी आरोपी और फरियादी का सगा भाई है तथा उसने घटना के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में सम्पूर्ण वृत्तांत प्रकट किया है।

7— धमनलाल (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी एवं प्रार्थी को पहचानता है। घटना करीब एक वर्ष पुरानी है। आरोपी और प्रार्थी दोनों सगे भाई हैं, इन्हे गांव वालों ने कई बार जमीन

जायजाद के विवाद में समझाईश दी थी। घटना दिनांक को प्रार्थी उनेरसिंह आरोपी से हिस्सा, बंटवारे की मांग कर रहा था तो आरोपी ने लाठी से मार दिया था, जिससे प्रार्थी के हाथ में चोट आयी थी। प्रार्थी उनेरसिंह ने थाने में जाकर रिपोर्ट किया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन लिये थे। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी एवं स्वतंत्र साक्षी के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

8— डॉक्टर एम.मेश्राम (अ.सा.4) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-20.12.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को थाना बिरसा से आरक्षक मनोज, क्रमांक-1148 द्वारा आहत उनेरसिंह पिता हीरूसिंह को लाये जाने पर उसके द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत के दाहिने हाथ की हथेली के पीछे भाग पर एक सूजन, बांयी आंख के नीचे भाग पर एक खरौंच, बांयी आंख के भौह पर एक खरौंच, दाहिने हाथ के कंधे पर एक सूजन पाया था। उसके मतानुसार आहत को आयी चोटे किसी कड़े, बोथरे एवं खुरदुरे वस्तु से आना संभावित है। आहत के हथेली की हड्डी टूटने की संभावना को देखते हुए आहत को उपचार एवं अभिमत हेतु अस्थि रोग विशेषज्ञ बालाघाट ईलाज हेतु रिफर किया गया था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में घटना के समय आहत को आयी अन्य चोट के अलावा उसके हाथ में अस्थि भंग होने की संभावना को देखते हुए अस्थि रोग विशेषज्ञ को रिफर करने की पुष्टि की है।

9— डॉक्टर डी.के.राउत (अ.सा.6) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-08.01.2012 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलाजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक-02.01.2012 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन द्वारा आहत उनेरसिंह पिता हीरूसिंह के दाहिने हथेली एवं हाथ का एक्सरे

किया गया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक-17 है। उसके द्वारा उक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने आहत के दाहिने हाथ के रेडियस हड्डी के निचले भाग पर अस्थि भंग होना पाया था। उक्त एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में इस तथ्य की पुष्टि की है कि घटना के समय उनेरसिंह के दाहिने हाथ में अस्थि भंग कारित हुआ था।

10— अनुसंधानकर्ता प्रधान आरक्षक राजेश सनोडिया (अ.सा.5) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-08.01.2012 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी उनेरसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-3 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसके द्वारा फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी-1 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-14.01.2012 को आरोपी से एक छिली हुई लकड़ी, जिसका सिरा गोलाई लिए हुए चिकना व खुरदुरा था जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी-5 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी उनेरसिंह, साक्षी मुन्नालाल, धमनलाल, तिरथसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। साक्षी के द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से उसके प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

11— उरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय आरोपी ने आहत उनेरसिंह को लकड़ी से मारपीट किया था और उसके साथ लामा-झुमी करते हुए उसका हाथ मरोड़ दिया था। आहत उनेरसिंह (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा मात्र हाथ मरोड़ने के कारण अस्थि भंग होने का तथ्य पेश किया है, जबकि अन्य चक्षुदर्शी साक्षी मुन्नालाल (अ.सा.2) एवं

धमनलाल (अ.सा.3) ने घटना के समय आरोपी के द्वारा लकड़ी से मारने के कारण आहत उनेरसिंह को अस्थि भंग होने के कथन किये हैं। आहत उनेरसिंह की चिकित्सीय रिपोर्ट से भी यह प्रमाणित होता है कि आहत के हाथ में अस्थि भंग कारित हुआ था। घटना के समय आरोपी द्वारा प्रयुक्त लाठी को आरोपी से जप्त करने की पुष्टि जप्ती अधिकारी राजेश सनोडिया (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में की है। इस प्रकार अभियोजन ने यह प्रमाणित किया है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय मारपीट में लकड़ी का प्रयोग करते हुए आहत उनेरसिंह के हाथ में अस्थि भंग किया गया था।

12— प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य व परिस्थिति से प्रकट होता है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय आहत को प्रहार करते समय उसके पास प्रयुक्त साधन से आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानता था कि उक्त साधन से निश्चित रूप से आहत को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपी के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया उपहति की श्रेणी में आता है।

13— आरोपी की ओर से आहत के प्रतिपरीक्षण में ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना के समय आरोपी को गंभीर व अचानक प्रकोपन दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी के द्वारा उक्त उपहति कारित की गई। अभियोजन की ओर से भी ऐसी साक्ष्य प्रकट नहीं हुई है कि आरोपी को घटना के समय गंभीर एवं अचानक प्रकोपन प्राप्त हुआ था, जिस कारण उसके द्वारा आहत को उक्त प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की गई। इस प्रकार आरोपी को धारा-335 भा0द0वि0 के उपबंध के अंतर्गत आपवादिक परिस्थिति का लाभ प्राप्त नहीं होता।

14— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपी ने दिनांक-30.12.2012 को समय करीब 10:00 बजे स्थान ग्राम सुकतरा आरक्षी केन्द्र बिरसा के अन्तर्गत आहत उनेरसिंह की दाहिने हाथ की कलाई में लकड़ी से मारपीट कर उसकी अस्थि भंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित

किया । अतएव आरोपी को धारा-325 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

15— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

16— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

17— मामले में आरोपी ने फरियादी/आहत उनेरसिंह को मारपीट कर उसके हाथ में अस्थि भंग कारित किया है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325 के अपराध के अंतर्गत 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/—(एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक माह का कठोर कारावास से भुगताया जावे।

18— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

19— प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है, इसके संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

20— प्रकरण में जप्तशुदा लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

